न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम जमील आदि

दण्डवाद सं0–120/2007
मु0अ0सं0–811ए/2006
धारा–323,324,504,506 भा0दं0सं0
थाना–भगतपुर

14.08.2018

अभियुक्तगण जमील, मौ0 यामीन व एजाज की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र दण्डवाद सं0–120/2007 मु0अ0सं0–811ए/2006 अन्तर्गत धारा–323,324,504,506 भा0दं0सं0 थाना भगतपुर में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वाद उपरोक्त में पूर्व से जमानत पर थे अभियुक्तगण नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सके तथा न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिये गये। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण पूर्व में जमानत पर थे, तथा नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वारंट जारी कर दिये गये थे। अभियुक्तगण दिनांक 12.08.2018 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2006 को स्वीकृत हो चुकी हैं। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण जमील, मौ0 यामीन व एजाज द्वारा बीस–बीस हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा